"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 121 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 अप्रैल 2010—चैत्र 26, शक 1932

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2010

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-353/गृह/2007.—छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) की धारा 16 की उपधारा (1) एवं (2) के प्रावधान अनुसार राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नानुसार राज्य पुलिस आयोग का गठन करता है :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन | - | सभापति |
| 2. | मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ | - | सदस्य |
| 3. | गृह विभाग का प्रभारी सचिव | - | सदस्य |
| 4. | पुलिस महानिदेशक | - | सदस्य सचिव |
| 5. | राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट राज्य मानव आयोग का सदस्य | - | सदस्य |
| 6. | राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो स्वतंत्र सदस्य (किसी भी क्षेत्र जैसे शैक्षणिक, विधि, लोक प्रशासन, मीडिया या अन्य किसी क्षेत्र में सत्यनिष्ठा तथा सक्षमता के लिए ख्याति प्राप्त व्यक्ति) | - | सदस्य |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. एन. उपाध्याय, सचिव.**

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 11-353/गृह/2007.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 16-04-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. एन. उपाध्याय,** सचिव.

Raipur, the 16th April 2010

NOTIFICATION

No. F-11-353/Home/2007.—In accordance with the provisions contained in sub-section (1) and (2) of section 16 of Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007), the State Government hereby establishes the State Police Commission as follows :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Home Minister | - | Chairman |
| 2. | Chief Secretary | - | Member |
| 3. | Secretary in charge of the Home Department | - | Member |
| 4. | Director General of Police | - | Member Secretary |
| 5. | Member, State Human Rights Commission to be nominated by State Government; | - | Member |
| 6. | Two Independent Members, (persons of proven reputation for integrity and competence from any field such as academia, law, public administration, media or any other field) to be appointed by the State Government. | - | Member |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. N. UPADHYAY, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.